



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

19 ज्येष्ठ, 1945 (श०)

संख्या - 345 राँची, शुक्रवार,

9 जून, 2023 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

आदेश

2 मई, 2023

आदेश सं०-5/आरोप-1-9/2019 का०- 2530-दैनिक समाचार पत्र 'प्रभात खबर' में दिनांक 20.02.2019 को खबर प्रकाशित हुआ कि घाटशिला के एस०डी०ओ० श्री अरविन्द कुमार लाल का तबादला चर्चा में है। श्री लाल ने फेसबुक पर तबादले को लेकर फुटबॉल बना दिये जाने की बात भी कही गयी है। उनके अनुसार करीब चार साल में इनका पाँच बार तबादला किया गया है।

उक्त समाचार पत्र की कतरन की प्रति श्री लाल को भेजते हुए विभागीय पत्रांक 1881, दिनांक 23.02.2019 द्वारा स्पष्टीकरण की माँग की गयी एवं उनसे स्पष्टीकरण अप्राप्त रहने पर स्मारित भी किया गया, जिसके अनुपालन में श्री अरविन्द कुमार लाल, झा०प्र०से० (प्रथम बैच), अनुमंडल पदाधिकारी, लोहरदगा के पत्रांक-969/गो०, दिनांक 20.09.2022 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया।

श्री लाल द्वारा अपने स्पष्टीकरण में कहा गया कि प्रभात खबर में दिनांक 20.02.2019 को प्रकाशित टिप्पणी फुटबॉल बना दिया व्यक्तव्य इनके द्वारा नहीं दिया गया है। किसी भी समाचार पत्र को तबादले को लेकर किसी प्रकार टिप्पणी या व्यक्तव्य इनके द्वारा नहीं दिया गया है। दिनांक 18.02.2019 को रात्रि में स्थानांतरण की सूचना प्राप्त होने पर उन्होंने अपने मित्र समुह से फेस बुक पर भावना व्यक्त की थी "Hard Luck, again transfer to Dumka, its fifth transfer in last four years." इनके इस पोस्ट पर किसी फेस बुक मित्र के अपनी टिप्पणी लिखि "You are rolling like foot ball." दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित टिप्पणी किसी अन्य के पोस्ट से अभिप्रेत है। फेस बुक पर मित्र समुह में स्थानांतरण को लेकर की गई टिप्पणी सहज एवं सरल व्यक्तित्व भावना थी ।

अतः समीक्षोपरांत श्री अरविन्द कुमार लाल, झा०प्र०से० (प्रथम बैच), अनुमंडल पदाधिकारी, लोहरदगा द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण पर विचार करते हुए उन्हें भविष्य में सचेत रहने की चेतावनी के साथ आरोप मुक्त किया जाता है ।

रंजीत कुमार लाल,
सरकार के संयुक्त सचिव ।
